फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल चन्देल निवासी अम्बिका चौक, जल चक्की, कॉकरोली, जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 36/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.08.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/568–69 दिनांक 28.07.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 22.04.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को (कोविड–19 लोकडाउन होने से दिनांक 20.03.2020 के पश्चात लोकडाउन खुलते ही) दिनांक 01.06.2020 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 06 के संबंध में आरटीआई आवेदन का अवलोकन करने पर जो बिन्दु प्रार्थी द्वारा वर्णित किये गये हैं उनमें काल्पनिकता के प्रश्न किये गये हैं तथा स्पष्ट विशिष्टियॉ एवं स्पष्ट ब्यौरे का उल्लेख नही किया गया हैं, जिससे सूचना तक पहूॅच नही बनाई जा सकती है एवं आवेदन पत्र पर कार्यवाही किया जाना संभव नही है, कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र प्रेषीत करते हुए, आरटीआई की धारा 7(8)(1) के तहत प्रार्थी को जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/451 दिनांक 22.06.2020 से सूचित किया गया हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना तक पहूॅच बनाया जाना संभव नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निरस्त कर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर